भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 243
(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शमनीय अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना

***243. श्री अनिल फिरोजियाः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शमनीय अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में कदम उठाकर और व्यापार करने में सुगमता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है;
(ख) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और मालदीव के सनदी लेखाकारों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 07.08.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *243 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कानून के अनुपालन को प्रोत्साहित करने तथा कानून का अनुपालन करने वाले कारपोरेटों को व्यापार करने में सुगमता प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीकें से प्रारंभ की गई थी। प्रथम चरण में, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 16 शमनीय अपराधों को इन-हाउस अधिनिर्णयन तंत्र (आईएएम) में हस्तांतरित कर दिया गया था। एक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था और केवल उन उल्लंघनों जिनमें तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघन शामिल थे, जिन्हें निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया जा सकता था और जिनमें कोई कपट, धोखाधड़ी, लोक हित को क्षति शामिल नहीं थी, को ही अपराधों की श्रेणी से बाहर किया गया था।

द्वितीय चरण में, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 35 और शमनीय अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस संशोधन के माध्यम से, 11 शमनीय अपराधों के मामले में, कारावास के प्रावधानों को हटा दिया गया था और केवल जुर्माने को बरकरार रखा गया था।

ये संशोधन कंपनी विधि समिति की सिफारिशों पर आधारित थे जिनसे देश में अधिक से अधिक ईज-ऑफ-लिविंग और ईमानदार धन सृजनकर्ताओं को उचित सम्मान प्रदान करने और आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ को कम करने के सरकार के संकल्प के प्रति भारतीय कंपनियों के विश्वास में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) और (ग): भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ मालदीव (सीए मालदीव) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 17 मई, 2023 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है। समझौता ज्ञापन संबंधी हस्ताक्षर समारोह, सीए मालदीव द्वारा आयोजित किए जा रहे दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एसएएफए) कार्यक्रमों के अतिरिक्त समय के दौरान 20 अगस्त 2023 को मालदीव में आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लेखांकन ज्ञान के विकास, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास, उनके संबंधित सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने और मालदीव और भारत में लेखा पेशे के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए पारस्परिक सहयोग स्थापित करना है।

*****